

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. -01/2023

1. श्रीमती निर्मला धाकड़ पत्नी गोपाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमती गीता पत्नी चतुर्भुज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

.....वादीगण

बनाम

श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 136 रा0ले0रे0 एक्ट .

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री प्रदीप बीलू

अप्रार्थी:- पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक - 19.12.2024

वादीगण के वाद पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने ग्राम मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा में विक्रेता राधेश्याम माली, श्रीमती कमलेश बाई माली, मोहनलाल माली, सुनिता माली, नन्दू माली व सोहन बाई माली से उनके खाते की पुराना खाता संख्या 123 व नया खाता संख्या 278 में खसरा संख्या 274, रकबा 0.65 हेक्टर में से 1/2 हिस्से की जमीन जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 20.01.2020 को खरीद की है। वादीगण द्वारा खरीद की गई जमीन के खाते की नकल में गुलाब बाई बेवा ग्यारसीलाल ब्राह्मण, मांगीलाल सुतलिया एवं नारायण कुमार का नाम शि0मु0 के रूप में दर्ज है जबकि वादग्रस्त जमीन वादीगण ने खरीद की है तथा कब्जा विक्रेता से प्राप्त कर लिया है। श्रीमती गुला बाई, मांगीलाल एवं नारायण कुमार का वादग्रस्त जमीन पर कब्जा नहीं रहा है। इन तीनों के नाम वादीया द्वारा खरीद की गई जमीन से हटाया जाना आवश्यक है। इन तीनों के नाम शि0मु0 के रूप में दर्ज होने से वादी के पक्ष में उनके द्वारा खरीद की गई जमीन का नामान्तरण नहीं खुल पा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा के यहां इन तीनों के नाम हटाने बाबत् प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.11.2022 को पेश किया लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है। वादीगण द्वारा खरीद की गई जमीन से शि0मु0 के नाम हटाये जाने की घोषणा हेतु तथा राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कराये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश किया जा रहा है। अंत में दुरुस्त कराये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश किया जा रहा है। अंत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा दिनांक 20.01.2020 को खरीद की गई ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा की पुराना खाता संख्या 123 व नया खाता संख्या 278 में खसरा संख्या 274, रकबा 0.65 हेक्टर जमीन में से शि0मु0 के रूप में दर्ज गुलाब बाई, मांगीलाल सुतलिया व नारायण कुमार के नाम हटाये जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में भी सही इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा प्रतिवादी को आदेश प्रदान करावे कि वह वादी के पक्ष में उसके द्वारा खरीद की गई जमीन का नामान्तरण विक्रय पत्र के आधार पर खोले।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 एकलिंगपुरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की खाता संख्या 123 आराजी संख्या 274 रकबा 0.65हे0 भूमि में से 1/2 हिस्से की जमीन क्रय की उक्त खाते में गुला बाई पत्नि ग्यारसी लाल ब्राह्मण, मांगीलाल सुतलिया एवं नारायण कुमार के नाम शि.मु. के रूप में दर्ज है। आराजी संख्या 274 पर शि.मु. के रूप दर्ज गुला बाई, मांगीलाल सुतलिया एवं नारायण

प्रस्तावित प्रतिवादी
मुसंभापुरा (चित्तौड़गढ़)

कुमार का कभी भी कब्जा नहीं रहा और इसके द्वारा न ही कभी काश्त की गई। विक्रय से पूर्व काश्त दर्ज रिकार्ड खातेदारों द्वारा की जा रही थी एवं वर्तमान कब्जा वादीगण का होकर काश्त भी स्वयं द्वारा की जा रही है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की पुराना खाता संख्या 123 व नया खाता संख्या 278 आराजी संख्या 274 रकबा 0.65 है0 भूमि पर शि.मु. के रूप में दर्ज गुलाब बाई, मांगीलाल सुतालिया एवं नारायण कुमार का कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही कभी इनके द्वारा कभी काश्त की गई। विक्रय से पूर्व काश्त दर्ज रिकार्ड खातेदारों की जा रही थी एवं वर्तमान कब्जा वादीगण/प्रार्थीगण का होकर काश्त भी स्वयं द्वारा की जा रही है। प्रार्थी वकील द्वारा अंत में शि.मु. के रूप में दर्ज गुला बाई, मांगीलाल सुतालिया एवं नारायण कुमार का नाम पुराना खाता संख्या 123 व नया खाता संख्या 278 में से हटाए जाने एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में भी सही इन्द्राज किये जाने का आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार शि.मु. के रूप में दर्ज नाम के व्यक्तियों का प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने का निवेदन किया है, इस आधार पर प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर से शि.मु. के रूप में दर्ज नाम को हटाए जाने की इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा भूमि ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 278 की खसरा संख्या 274 रकबा 0.65 हेक्टर भूमि में से शि.मु. के रूप में गुला बाई बेवा ग्यारसीलाल ब्राह्मण, मांगीलाल सुतालिया एवं नारायण कुमार के नाम विलोपित किये जाने की इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सुनाया गया।



(महेश गग्गरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ